



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सःभाविप्रा/क्षे.मु.-उ.क्षे./ संयु-महा-प्र./इंजी.-सिविल/ईएमसी/2022-23

दिनांक: 06.06.2022

No. AAI/RHQ-NR/Jt.GM/Engg.-Civil/EMC/ 2022-23/1552

Date: 06.06.2022

सेवा में,
मैसर्स श्री पारस नाथ कन्स्ट्रक्शन कं.
सी-6/9, यमुना विहार
नई दिल्ली - 110053

To,
M/s Shri Paras Nath Const Co.
C-6/9, YAMUNA VIHAR
New Delhi-110053

कार्य का नाम :- चरखी दादरी, हरयाणा में रेडियो एड्स इकाई, की चारदीवारी का निर्माण।

Name of Work: Construction of boundary wall of RADIO AIDS unit at Charkhi Dadri, Haryana.

निविदा आईडी: 2022_एएआई_112092_1

Tender ID :- 2022_AAI_112092_1

महोदय/ Sir,

- 1) ऊपर उल्लेखित कार्य हेतु आपकी मदद दर निविदा, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से स्वीकृत किया जाता है, आपके द्वारा बताए गए दरों की कुल राशि रु. 84,65,220/- (रुपए चौरासी लाख पैसठ हजार दौ सौ बीस) है जो कि अनुमानित लागत रु. 1,23,33,000/- (रुपये एक करोड़ तेईस लाख तैतीस हजार मात्र) से 31.36% कम है, पर स्वीकार किया जाता है।

Your E- tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India, at the rate quoted by you totaling to Rs. 84,65,220/- (Rupees: Eighty Four Lakhs Sixty Five Thousand Two Hundred Twenty Only) which is 31.36% below the estimated cost put to tender of Rs. 1,23,33,000/- (Rupees One Crore Twenty Three Lacs Thirty-Three Thousand Only).

- 2) संयुक्त महाप्रबंधक (अभि.- सिविल), कमरा नं० - 202, द्वितीय तल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्र, प्रचालन कार्यालय, रंगपुरी, नई दिल्ली- 110037, इस कार्य के प्रभारी अभियंता होंगे। आपसे निवेदन है कि अनुबंध करार को पूरा करने एवं हस्ताक्षर करने के लिए आप दिनांक 21.06.2022 तक संयुक्त महाप्रबंधक (अभि.- सिविल) क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र के कार्यालय में उपस्थित हों। अनुबंध करार 100 (सौ रूपए) रूपए के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर होगा एवं स्टांप पेपर का खर्च आपके द्वारा वहन किया जाएगा।

Jt. General Manager (Engg.-Civil), Room no. -202, 2nd Floor, AAI, Regional Headquarters, Northern Region, Operational Offices, Rangpuri, New Delhi-110037, shall be the Engineer-in-charge of the work. You are requested to attend the office of Jt. G.M (Engg.-Civil), RHQ-NR by dated 21.06.2022 to sign and

complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value Rs. 100 - (Rupees: One Hundred only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

- 3) जी.सी.सी. डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 16 पर अनुच्छेद क्रमांक 1A के अनुसार आपके टेंडर के साथ प्राप्त बयाना राशि रूपए 2,46,660/- (रूपए: दौ लाख छियालीस हजार छः सौ साठ मात्र) को प्रतिभूति जमा राशि के रूप में परिवर्तित माना जाएगा। कृपया इस पत्र के जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर रु. 5,99,862/- (पाँच लाख निन्यानवे हजार आठ सौ बासट मात्र) की राशि प्रतिभूति जमा के रूप में जमा कराएं, ऐसा न करने पर इस राशि की GCC के पेज क्रमांक 16 के अनुच्छेद क्रमांक 1A के अनुसार कटौती की जाएगी।

The Earnest Money amount of Rs. 2,46,660/- received along with your tender will be treated and converted as part of security deposit as per condition of clause no. 1A on page - 16 of Contract Document. Please deposit Rs. 5,99,862/- (Rupees: Five Lakhs Ninety Nine Thousand Eight Hundred Sixty Two only) towards security deposit within 10 days from the date of issue of this letter failing which, the same will be deducted as per condition of Clause no. 1A at page no. 16 of GCC.

- 4) निवेदन है कि आप श्रम अनुबंध (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 एवं श्रम अनुबंध (विनियमन एवं उन्मूलन) केन्द्रीय नियम 1971, बाल श्रम (विनियमन एवं निषेध) अधिनियम 1986, निर्माण मजदूर (रोजगार विनियम एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1996, भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण अधिनियम 1996 का पालन करेंगे, जो कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के नियमों एवं जी.सी.सी. के पृष्ठ संख्या 49 के अनुच्छेद 19 पर निर्दिष्ट है।

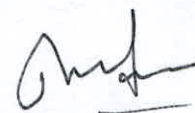
You are requested to comply with the provision of Contract labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and contract labour (Regulation and Abolition) Central rules 1971 Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act 1996, Building and other construction Workers Welfare Cess Act 1996 as specified in Clause 19 on page no. 49 of GCC of tender and rules of Central and State Government.

- 5) आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप शीघ्रातिशीघ्र सहायक महाप्रबंधक (अभि.- सिविल), एस्टेट मैनेजमेंट सैल, डी-160, प्रथम तल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्र, प्रचालन कार्यालय, रंगपुरी, नई दिल्ली- 110037 से सम्पर्क करें जोकि आपको साइट को सौंपने का प्रबंध करेंगे।

You are also directed to contact Asstt. General Manager (Engg.-Civil), Estate Management Cell, D-157, 1st Floor, AAI, Regional Headquarters, Northern Region, Operational Offices, Rangpuri, New Delhi-110037 immediately who will arrange to hand over the site to you.

- 6) कृपया ध्यान दें कि कार्य को पूरा करने का समय 07(सात) महीने होगा जोकि इस पत्र के जारी होने के 10वें दिन से माना जाएगा।

Please note that the time allowed for carrying out the work shall be 07 (Seven) months and same shall be reckoned from the 10th day after issue of this letter.



- 7) इस करार के संबंध में भविष्य में होने वाले सभी पत्राचार प्रभारी अभियंता को संबोधित किया जाए।

Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Engineer-in-charge.

- 8) कृपया इस पत्र की पावती भेजें एवं सलग्न प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप अधोहस्ताक्षरी को वापिस भेजें।

Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter enclosed herewith after signing it to the undersigned as a token of acceptance.

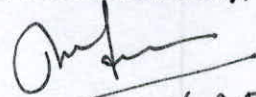
- 9) हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में अंतर या अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

In case of difference or ambiguity in Hindi and English version, the English version will prevail.

धन्यवाद,

Thanking you,

भवदीय/Yours faithfully,


06.06.2022

संयुक्त महाप्रबंधक (अभि०-सिविल) & Jt. GM (Engg. - Civil)

अध्यक्ष, ए ए आई की ओर से तथा उनके लिए/For and on behalf of the Chairman, AAI